राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः– प.16 (6) सा.प्र./ 4/2016 जयपुर, दिनांक 29/8/16

1. प्रबंधक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान ।
2. प्रबंधक, ट्रांजिट होस्टल, गांधीनगर, जयपुर ।
3. प्रबंधक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/
   स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।

विषयः– विश्राम भवनों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सामान का लेखा–जोखा रखने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पत्र क्रमांक 1932 दिनांक 11.08.2016 (प्रति संलग्न) द्वारा समस्त अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित किया है कि विश्राम भवनों को जो भी सामान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावें उसे नियमानुसार विधिवत रूप से संभलाया जावें।

अतः समस्त प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से नियमानुसार विधिवत रूप से सामान प्राप्त करे, एवं विधिवत रूप से संभाल कर उसका लेखा–जोखा विश्राम भवन में रखा जावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(निधि मेहता)
मुख्य लेखाधिकारी

अति आवश्यक

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : डी.बी.–4./पार्ट–II/अनु.–4/आरक्षण/डी– दिनांक : .08.2016

अधिशाषी अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड – .... (समस्त)

डायरी सं. 2212
दिनांक 16/8/16

विषयः– विश्राम भवनों के निरीक्षण विभाग द्वारा किये गये भण्डार लेखा का निरीक्षण एवं भण्डारों के भैतिक सत्यापन के सम्बन्ध में ।

संदर्भः– सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग के पत्र क्रमांक प.16(6)सा.प्र./4116 दिनांक 20.07.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र (प्रति संलग्न) के अनुसार निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा विश्राम भवनों के लेखों के निरीक्षण एवं भण्डारों के भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विश्राम भवनों को जो सामान उपलब्ध करवाया जाता है, वह नियमानुसार विधिवत रूप से नहीं संभलाया जाता है, जिसके कारण विश्राम भवनों द्वारा इनका लेखा जोखा नहीं रखा जा रहा है जिससे सामन का दुरूपयोग/गबन की संभावना बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विश्राम भवनों को जो भी सामान उपलब्ध करवाया जावे उसे नियमानुसार विधिवत रूप से संभलाया जावे।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(एम. एल. मीणा)
मुख्य अभियंता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : डी.बी.–4./पार्ट–II/अनु.–4/आरक्षण/डी–1932 दिनांक : 11.08.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सा.नि.वि., संभाग .... समस्त.।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत्त................ समस्त ।
3. संयुक्त शासन सचिव (क) को उनके पत्रांक प.16 (6) सा.प्र./4/16 दिनांक 20.07.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रस्तुत है।

(एम. एल. मीणा)
मुख्य अभियंता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।